

फारम-VIII- क
कार्यालय नगर परिषद दानापुर निजामत
भवन की योजना के अनुमोदन
उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- 71 तिथि- 16.01.2023 के संदर्भ में

मेसर्स धमेन्द्र शशि कनस्ट्रक्शन कंपनी प्रा0 लि0, निदेशक-श्री धमेन्द्र कुमार, पिता-श्री शशि कुमार यादव,
पता-चकारम, एस0के0 नगर, पो0-जी0पी0ओ0, थाना-बुद्धा कॉलोनी, जिला-पटना।

- (क) आवासीय भवन के निर्माण
- (ख) व्यवसायिक भवन के निर्माण
- (ग) भवन के पुनःनिर्माण
- (घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन
- (ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु दानापुर नगर परिषद / नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के .../...प्लॉट नं0-759, खाता नं0-41, तौजी नं0-5210, थाना नं0-26, मौजा-मुबारकपुर, पता-थाना-दानापुर, जिला-पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों / निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं0-.../.../22-23 है, जिसका निर्माण क्षेत्रफल-1892.08 वर्ग मीटर एवं G+4 की स्वीकृति दी जातीहै:-

- (क) भूमि / भवन का उपयोग अनन्य रूप से व्यवसायिक प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकासपूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 409.45 वर्ग मीटर का पार्किंग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि औसत 15.24 मी0 चौड़ाई के अनुमोदित पहंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़कको मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना / आयोजन प्राधिकारों / या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ नगर परिषद दानापुर आयोजना क्षेत्र में 00.00 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।
- (छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
- (ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार / हक / हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।

बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली (RERA), 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन कराना अनिवार्य होगा।

- (ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों / कागजात के सत्यापन की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि / हेर-फेर / कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ-आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- (ठ) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता / विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।
- (ड) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ढ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2016 का अनुपालन किया जाय।
- (ण) अफोर्डेबल हाउसिंग एण्ड स्लम रिहैबिलिटेशन एवं रिडेवलपमेंट हाउसिंग पॉलिसी, 2017 के अन्तर्गत शेल्टर फण्ड की राशि जमा करने के उपरान्त ही भवन का निर्माण करना होगा।
- (त) रैन वाटर हारवैस्टिंग सिस्टम एवं सी0सी0टी0भी0 कैमरे का अनिवार्यरूप से भवन में अनुपालन करना होगा।
- (थ) भविष्य में अगर केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / श्रम संसाधन विभाग / आयकर विभाग / अन्य किसी विभाग द्वारा किसी प्रकार का कर / शुल्क लगाया जाता है तो उसका भूगतान आपके द्वारा देय होगा।
- (द) नगर परिषद दानापुर निजामत को कभी भी कोई नियम / शर्त लगाने तथा बिहार भवन उपविधि 2014/2022 (यथा संशोधित) के अधिन स्वीकृत नक्शों को संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- (ध) अन्य शर्त
- बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007, बिहार भवन उपविधि 2014/2022 (यथा संशोधित) के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करते हुये भवन निर्माण किया जायेगा।

ज्ञापांक:-.....100...../दिनांक:-.....16/02/2024

प्रतिलिपि:- मेसर्स धमेन्द्र शशि कनस्ट्रक्शन कंपनी प्रा0 लि0, निदेशक-श्री धमेन्द्र कुमार, पिता-श्री शशि कुमार यादव, पता-चकारम, एस0के0 नगर, पो0-जी0पी0ओ0, थाना-बुद्धा कॉलोनी, जिला-पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

16.02.24.
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

16.02.24.
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

नगर परिषद् दानापुर निजामत

तकियापर, दीघा, दानापुर

Email- nagarparishaddanapur@gmail.com

शुद्धि पत्र

इस कार्यालय द्वारा निर्गत भवन मानचित्र स्वीकृति आदेश पत्र ज्ञापांक 100 दिनांक 16.02.2024 द्वारा नक्शे की स्वीकृति दी गई थी, जिसका प्लान केस नं0-100/23-24 है। आदेश पत्र में व्यवसायिक अंकित है जबकि नक्शे में आवासीय हेतु स्वीकृति दी गई है, जिसे शुद्धि पत्र हेतु आवेदक द्वारा दिनांक-15.11.2024 को आवेदन दिया गया है।

उक्त आवेदन के आलोक में मूल संचिका की जाँच कराई गई जिसमें पाया गया कि भूलवश आदेश पत्र में व्यवसायिक पर चिन्ह लगाया गया है एवं कंडिका (क) में व्यवसायिक अंकित है साथ ही प्लान केस नं0-100/22-23 अंकित है।

अतः उक्त के आलोक में भवन मानचित्र स्वीकृति आदेश पत्र ज्ञापांक-100, दिनांक-16.02.2024 में चिन्हित एवं कंडिका (क) में व्यवसायिक के स्थान पर आवासीय पढा जाय साथ ही प्लान के नं0-100/23-24 पढा जाय। शेष यथावत समझा जाय।

80/-

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद् दानापुर निजामत।

ज्ञापांक...4126...../दिनांक...02/12/24...

प्रतिलिपि:- मेसर्स धमेन्द्र शशि कनस्ट्रक्शन कंपनी प्रा0 लि0, निदेशक-श्री धमेन्द्र कुमार, पिता-श्री शशि कुमार यादव, पता-चकारम, एस0के0 नगर, पो0-जी0पी0ओ0, थाना-बुद्धा कॉलोनी, जिला-पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद् दानापुर निजामत।